न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 115/2018 प्रार्थना पत्र

चन्द्र प्रकाश पिता हीरालाल तेली, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्रीमती पद्मा लौहार पत्नी ओमप्रकाश लौहार, आयु 41 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. रामा उर्फ रामलाल पिता नाथु तेली, आयु 69 साल, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़, राज0।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.

निर्णय दिनांक 13.05.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा ईशाकपुरा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 185 की आराजी नं. 48 रकबा 1. 3400 हेक्टैयर तथा आराजी नं. 50/457 रकबा 0.1800 हेक्टैयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। शेष हिस्सा विपक्षी संख्या संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होकर इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात के साबिक नम्बर 38/280 रकबा 6 बीघा होकर प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात नक्शा ट्रेस में त्रिभुजाकार अंकित होकर आरम्भ से ही प्रार्थी एवं विपक्षीगण इस आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा इस भूमि पर लागत लगाकर इसे विकसित किया है। इस पर वर्तमान में भी प्रार्थी की फसलें खडी है। खातेदारान के द्वारा माननीय न्यायालय में बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय के आदेश द्वारा इस भूमि का विभाजन होकर नक्शा ट्रेस में इनका अंकन किया गया तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे। सेटलमेण्ट के दौरान सेटलमेण्ट अधिकारियों की भुल से उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस में गलत अंकन हो गया। आराजी नं. 48 और आराजी नं. 50/457 के मध्य एक आराजी चतुर्भुजाकार

अलग से अंकित कर दी गई है तथा नक्शे में भी उक्त आराजी को गलत अंकित कर दिया गया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होकर संशोधित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में सेटलमेण्ट अधिकारियों ने बगैर पूर्व नक्शे और प्रार्थीगण के कब्जे को ध्यान में रखे उक्त भूमि को गलत रूप से तरमीम कर दिया जो पूर्ण रूप से गलत है। इसलिए प्रार्थी साबिक नक्शा ट्रेस एवं कब्जे अनुसार संशोधन कराने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा वर्तमान कब्जे अनुसार साबिक रेकार्ड के आधार पर राजस्व रेकार्ड में संशोधन का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए नवीन नक्शा ट्रेस एवं साबिक नक्शा ट्रेस में अन्तर होना स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने मिलान क्षेत्रफल ग्राम ईशाकपुरा, नकल जमाबन्दी संवत 2060-63 ग्राम ईशाकपुरा की खाता संख्या 183 की प्रति, साबिक व नवीन नक्शा ट्रेस की प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम ईशाकपुरा की खाता संख्या 246 की प्रमाणित प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2017 की छायाप्रति आदि प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/राजव/2019/7, दिनांक 07.01.2019 में अंकित किया है कि सेटलमेन्ट की त्रुटि से नक्शे में आराजी नं. 50/457 रकबा 0.1800 अलग से अन्यत्र दर्शाया गया है तथा आराजी नं. 48 के पश्चिम दिशा में आराजी नं. 46 रकबा 0.3800 हेक्टेयर को दर्शाया गया है जो नगरपालिका के नाम दर्ज रेकार्ड है। जबकि आराजी नं. 46 पर प्रार्थी खातेदार का कब्जा होकर एक चक है और प्रार्थी काबिज काश्त है। हमने रेकार्ड का अवलोकन किया। साबिक नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में जो आराजी एक चक थी, सेटलमेण्ट उपरान्त उसके 2 टुकडे अंकित हो गये हैं तथा अलग अलग स्थान पर तरमीम हुए हैं। मौके पर आज भी प्रार्थी का एक चक पर कब्जा होकर काश्त है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम ईशाकपुरा की प्रश्नगत आराजीयात में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं-
निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैः-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	46	0.35	नगरपालिका, निम्बाहेड़ा	50/457 48 में से	0.18 0.17	नगरपालिका, निम्बाहेड़ा
2	48	1.34	श्रीमती पद्मा पत्नी ओम प्रकाश 63/134 लोहर, सा. निम्बाहेड़ा, श्री रामा पिता नाथू 4/134 तेली, सा. निम्बाहेड़ा, चन्द्रप्रकाश पिता हीरा 1/2 तेली सा. निम्बाहेड़ा	46 में से 48 में से	0.35 0.99	श्रीमती पद्मा पत्नी ओम प्रकाश 63/134 लोहर, सा. निम्बाहेड़ा, श्री रामा पिता नाथू 4/134 तेली, सा. निम्बाहेड़ा, चन्द्रप्रकाश पिता हीरा 1/2 तेली सा. निम्बाहेड़ा
3	50/457	0.18	श्री रामा पिता नाथू 1/2, चन्द्र प्रकाश पिता हीरा 1/2 तेली सा. निम्बाहेड़ा	48 में से	0.18	श्री रामा पिता नाथू 1/2, चन्द्र प्रकाश पिता हीरा 1/2 तेली सा. निम्बाहेड़ा

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 18:01:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: